



राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

प्रलम्बिस के लयि:

केंद्र प्रयोजति योजना, राष्ऱीय उच्चतर शकिषा अभयिान ।

मेन्स के लयि:

शकिषा एवं संबंधति योजनाएँ ।

चर्चा में क्यौं?

सरकार ने 'राष्ऱीय उच्चतर शकिषा अभयिान' (RUSA) की योजना को 31 मार्च, 2026 तक या अगली समीकषा तक (जो भी पहले हो) जारी रखने की मंजूरी दे दी है ।

- इस प्रस्ताव में लगभग 12929.16 करोड़ रुपए का परवियय शामिल है, जसिमें से केंद्र का हसिसा 8120.97 करोड़ रुपए और राज्य का हसिसा 4808.19 करोड़ रुपए होगा । योजना के नए चरण के तहत लगभग 1600 परियोजनाओं को समर्थन देने की परकिल्पना की गई है ।

राष्ऱीय उच्चतर शकिषा अभयिान:

- यह अक्तूबर 2013 में शुरू की गई केंद्र प्रयोजति योजना है, जसिका उद्देश्य पूरे भारत में उच्च शकिषा संस्थानों को रणनीतिक वतितपोषण प्रदान करना है ।
- केंद्रीय वतितपोषण (सामान्य श्रेणी के राज्यों के लयि 60:40 के अनुपात में, वशेष श्रेणी के राज्यों के लयि 90:10 के अनुपात में और केंद्रशासति प्रदेशों के लयि 100%) मानदंड और परणाम आधारति है ।
- इस कार्यक्रम के तहत वतितपोषण की राशा वशिषिट संस्थानों तक पहुँचने से पूर्व राज्य सरकारों/केंद्रशासति प्रदेशों के माध्यम से 'राज्य उच्च शकिषा परिषदों' को प्रदान की जाती है ।
 - वभिन्नि राज्यों को वतितपोषण 'राज्य उच्च शकिषा योजनाओं' के मूल्यांकन के आधार पर कयिा जाएगा, जो उच्च शकिषा में समानता, पहुँच एवं उत्कृष्टता के मुद्दों को संबोधति करने हेतु प्रत्येक राज्य की रणनीतिका वर्णन करेगा ।

नए चरण में परकिल्पना:

- रूसा के नए चरण का लक्ष्य सुवधि से वंचति कषेत्रों, अपेक्षाकृत कम सुवधि वाले कषेत्रों, दूरदराज़/ग्रामीण कषेत्रों, कठनि भौगोलकि स्थति वाले कषेत्रों, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से परभावति कषेत्रों, उत्तर पूर्वी कषेत्रों (एनईआर), आकांक्षी जिलों, द्वतीय श्रेणी (टयिर-2) के शहरों, कम जीईआर वाले कषेत्रों आदतिक पहुँच सथापति करना और सतत् विकास लक्ष्यों का लाभ प्रदान करना है ।
- इस योजना के नए चरण को **नई शकिषा नीति** की उन सफिराशियों और उद्देश्यों को लागू करने के लयि डजिाइन कयिा गया है, जो वर्तमान उच्च शकिषा प्रणाली में कुछ महत्त्वपूर्ण बदलावों का सुझाव देते हैं ताकि प्रणाली में सुधार लाकर इसे फरि से सक्रयि कयिा जा सके और समानता एवं समावेशन के साथ गुणवत्तापूर्ण उच्च शकिषा की सुवधि प्रदान की जा सके ।
- इस योजना के नए चरण के तहत लैंगकि समावेशन, समानता संबंधी पहल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), व्यावसायकि शकिषा एवं कौशल उन्नयन के माध्यम से रोजगार बढ़ाने के लयि राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाएगी ।
- राज्य सरकारों को नए मॉडल डगिरी कॉलेज बनाने के लयि भी सहयोग दयिा जाएगा ।
- बहु-वषिक शकिषा और अनुसंधान के लयि राज्य के वशिवदियालयों को सहायता दी जाएगी ।
- भारतीय भाषाओं में सखिाने-सखिाने सहति वभिन्नि गतविधियों के लयि मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त वशिवदियालयों एवं कॉलेजों को मज़बूती प्रदान करने के उद्देश्य से अनुदान प्रदान कयिा जाएगा ।

उद्देश्य:

- राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में नरिधारति मानदंडों और मानकों के अनुरूप सुधार करना ।
- एक अनविार्य गुणवत्ता आशवासन ढाँचे (योग्यता का प्रमाणन) को अपनाना ।
- राज्य वशिवदियालयों में स्वायत्तता को बढावा देना और संस्थानों के शासन में सुधार करना ।
- संबद्धता, शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार सुनशिचति करना ।
- सभी उच्च शक्तिषण संस्थानों में गुणवत्ता युक्त संकायों की उपलब्धता और रोज़गार के सभी स्तरों पर कषमता नरिमाण सुनशिचति करना ।
- उच्च शक्तिषा प्रणाली में अनुसंधान के लयि एक सक्षम वातावरण बनाना ।
- उच्च शक्तिषा की पहुँच से अछूते कषेत्रों में संस्थानों की स्थापना कर कषेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना ।
- उच्च शक्तिषा के कषेत्र में वंचितों को पर्याप्त अवसर प्रदान कर इस कषेत्र में पक्षपात को समाप्त करना ।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rashtriya-uchchar-shiksha-abhiyan-2>

